

विद्युत सम्बन्ध प्राप्त करने हेतु

=====

1. शहीद/ स्थाई विकलांग का नाम :
2. रैंक, नम्बर, यूनिट :
3. शहीद की विधवा का नाम (फौज के अभिलेखानुसार) :
(प्रतिलिपी संलग्न करें)
4. विधवा की भूमि का पूर्ण विवरण :
जहाँ विद्युत सम्बन्ध जुड़ा चाहा गया है
(जमा बन्दी संलग्न करें)

हस्ताक्षर

पता

प्रतिहस्ताक्षर

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी

कार्यालय जिला कलेक्टर

मूल प्रार्थना पत्र सहायक अभियंता को भेज कर लेख है कि उपरोक्त भूमि पर जो श्रीमति के नाम पर है, एक विद्युत सम्बन्ध (कृषि श्रेणी) की (आउट आफ टर्न) जारी करें।

जिला कलेक्टर

कार्यालय सहायक अभियंता

प्रार्थना पत्र श्रीमति का प्राप्त होने पर एक विद्युत सम्बन्ध (कृषि श्रेणी) दिनांक को स्थापित किया गया जिसकी खाता संख्या है।

सहायक अभियंता

वृत्त

प्रतिलिपि :- निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर